

IT 391
3-3/17



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।

क्रमांक एफ-4/मु./याता/लेखा(08)/17/651
कार्यालय-आदेश

दिनांक: 2-03-2017

निगम बसों में विभिन्न मार्गों पर संचालित मंजिली वाहनों (Stage Carriage) में दैनिक यात्रा (आना-जाना) करने वाले यात्रियों के लिये इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ-4/मु0/याता/लेखा(08)/2016/275 दिनांक 27.6.2016 से मासिक पास की नई योजना लागू की गई। (प्रति पृष्ठ भाग पर संलग्न)

उक्त मासिक यात्रा पास की नई व्यवस्था को दिनांक 31.3.2017 से वृद्धिकृत कर दिनांक 31 मार्च 2018 तक प्रभावी की जाती है। मासिक यात्रा पास जारी करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया तथा शेष नियम व शर्तें पूर्ववत्/यथावत् रहेगी।

यह आदेश वित्तीय सलाहकार की सहमति तथा माननीय प्रबन्ध निदेशक महोदय की अनुमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(ज्योति चौहान)

कार्यकारी निदेशक (यातायात)

क्रमांक एफ-4/मु./याता/लेखा(08)/17/651 दिनांक: 2-03-2017

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, राज0परि0निगम, मुख्यालय, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।
3. महा प्रबन्धक/संयुक्त/उप महा प्रबन्धक,राज.परि.निगम.मुख्यालय.जयपुर।
4. कार्यकारी प्रबंधक (निरीक्षण/याता.) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।
5. उप महा प्रबंधक (आई.टी) रा.प.नि, को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश को निगम वेब साईट पर उपलब्ध कराने एवं सभी संबंधितों को ई-मेल की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा उक्त मासिक यात्रा पास व्यवस्था को दि. 31.3.2018 तक प्रभावी किया जावे।
6. कार्यकारी प्रबंधक (जनसम्पर्क) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।
7. लेखाधिकारी (बजट) राज0 परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
8. मुख्य प्रबंधक, राज.परि.निगमआगार को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मासिक यात्रा पास व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार करें एवं राजस्व वृद्धि हेतु सार्थक प्रयास करें।
9. आदेश पत्रावली।

(सोहन लाल धानका)

महा प्रबंधक (यातायात)



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।

क्रमांक एफ-4/मु./याता/लेखा(08)/16/275
कार्यालय-आदेश

दिनांक: 27-06-16

निगम बसों में विभिन्न मार्गों पर संचालित मंजिली वाहनों (Stage Carriage) में दैनिक यात्रा (आना-जाना) करने वाले यात्रियों के लिये इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ-4/मु0/याता/लेखा(08)/2012/1227 दिनांक 31.12.12 से मासिक पास की नई योजना लागू की गई थी जिसे कार्यालय आदेश क्रमांक एफ-4/मु./याता/लेखा(08)/16/135 दिनांक 28.3.2016 द्वारा दिनांक 30.06.16 तक वृद्धिकृत किया गया था।

प्रभावी मासिक यात्रा पास योजना के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ-4/मु./याता/लेखा/(08)/2012/1227 दिनांक 31.12.2012 से 26 दिवस एवं 30 दिवस के मासिक यात्रा पास जारी करने की व्यवस्था की गई थी। इस व्यवस्था को समाप्त करते हुये केवल 30 दिवस के मासिक यात्रा पास की व्यवस्था नियमानुसार की जाती है :-

क.सं.	मासिक यात्रा पास की अवधि	देय छूट
1.	एक माह, दो माह, व तीन माह	50 प्रतिशत

मासिक यात्रा पास जारी करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया तथा शेष नियम व शर्तें पूर्ववत्/यथावत् रहेगी। उक्त मासिक यात्रा पास की नई व्यवस्था दिनांक 01 जुलाई 2016 से 31.मार्च 2017 तक प्रभावी होगी।

यह आदेश वित्तीय सलाहकार की सहमति तथा माननीय अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय की अनुमति से जारी किए जा रहे हैं।

(सोहन लाल धानकी)

कार्यकारी निदेशक (यातायात)

क्रमांक एफ-4/मु./याता/लेखा(08)/16/275 दिनांक: 27-6-16
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, राज0परि0निगम, मुख्यालय, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्षराजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।
3. महा प्रबन्धक/संयुक्त/उप महा प्रबन्धक,.....राज.परि.निगम.मुख्यालय.जयपुर।
4. कार्यकारी प्रबंधक (निरीक्षण/याता.) राजस्थान परिवहन निगम. मुख्यालय, जयपुर।
5. उप महा प्रबंधक (आई.टी) रा.प.नि, को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश को निगम वेब साईट पर उपलब्ध कराने एवं सभी संबंधितों को ई-मेल की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा उक्त मासिक यात्रा पास व्यवस्था को दि. 31.3.2017 तक प्रभावी किया जावें।
6. कार्यकारी प्रबंधक (जनसम्पर्क) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।
7. लेखाधिकारी (बजट) राज0 परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
8. मुख्य प्रबंधक, राज.परि.निगमआगार को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मासिक यात्रा पास व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार करें एवं राजस्व वृद्धि हेतु सार्थक प्रयास करें।
9. आदेश पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह चौधरी)

कार्यकारी प्रबंधक (यातायात)

27/6/16
13/6/16
27/6/16